P.G. - 18-20   Topic: Dr Kumari Manju
H.O.D. Eco

3rd Semester   सरकारीया आयोग

सरकारीया आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा जून 1983 में किया गया था। इस आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्याय मूर्ति रणजीत सिंह सरकारीया थे। इसका कार्य भारत के केन्द्र राज्य संबन्धों के संबन्धित सभी पहलुओं पर अपनी संस्तुति देना था। श्री बी. शिवरमन तथा डा० एस. आर. सेन इसके सदस्य थे। गठित इस अधिसूचना में प्रतिपादित आयोग की विचारार्थ शर्तें निम्न थीं।

"आयोग सभी प्रकार के अधिकारों कार्यों और जिम्मेदारियों के सम्बन्ध में केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जाँच और समीक्षा करेगा और यथोचित बदलावों अथवा उपायों की सिफारिश करेगा।" केन्द्र और राज्यों के बीच मौजूद व्यवस्था की कार्यप्रणाली की जाँच और समीक्षा तथा यथोचित बदलाव और उपायों की सिफारिश करने के लिए आयोग पिछले कुछ वर्षों में हुए सामाजिक और आर्थिक विकास को ध्यान में रखेगा तथा लोकतांत्रिक संस्थानों के द्वारा स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इतने लगन से तैयार किए गए संविधान की योजना और संरचना का पूर्ण सम्मान होगा तथा देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित होगा जो कि लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।"

सरकारीया आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अन्तर्राज्यीय परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी।

संविधान का अनुच्छेद 263 केन्द्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से अन्तर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति को सार्वजनिक हित में ऐसी परिषद का गठन करने की शक्ति दी गई है और राष्ट्रपति ही परिषद के कार्यों, संगठन और प्रक्रिया को निर्धारित करता है।

यद्यपि राष्ट्रपति को परिषद के कार्यों को निर्धारित करने की शक्ति है, फिर भी अनुच्छेद 263 इसके कर्तव्यों का उल्लेख करता है।

(1) राज्यों के मध्य होने वाले विवादों की जाँच करना और इस सम्बन्ध में सलाह देना।
(2) विभिन्न राज्यों और केन्द्र तथा राज्यों के समान हित वाले विषयों पर अन्वेषण तथा विचार-विमर्श करना। (3) विभिन्न विषयों तथा नीतियों के क्रियान्वयन के बेहतर समन्वय के लिए सिफारिश करना।

अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय को अंतर्राज्यीय विवादों पर फैसले की जाँच तथा सलाह देने की शक्ति प्राप्त है। साथ ही परिषद कानूनी अथवा गैर-कानूनी विवादों का निष्पादन कर सकती है, किन्तु इसकी सिफारिशें सलाहकारी हैं न कि न्यायालय की भाँति अनिवार्यतः मान्य हो।

भारत में संघीय व्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में वित्त आयोग, राज्य पुनर्गठन, अखिल भारतीय सेवा के साथ सरकारीया आयोग की सिफारिश पर 1990 में बनी अन्तर्राज्यीय परिषद की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो निम्न हैं:

(1) सहकारी संघवाद की सफलता के लिए केन्द्र और राज्यों के साथ सहयोग तथा परस्पर अन्तर्क्रिया होना आवश्यक है। परिषद अपनी इस भूमिका में काफी सफल रही है।
(2) परिषद ने समय-समय पर केन्द्र व राज्यों के बीच संवाद-अंतराल को पाटने का कार्य किया है।
(3) यद्यपि संघीय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा सामाजिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने और केन्द्र व राज्यों के बीच सुरक्षा वाल्व के रूप में परिषद ने अपनी भूमिका निभाई है। तथापि निर्णय बाध्यकारी न होने व नियमित अंतराल पर बैठक नहीं होने से यह अपने लक्ष्य का पूर्ण उपयोग नहीं कर सकी है।

Scanned with CamScanner

1996 में परिषद के विचारार्थ मामलों पर सतत परामर्श और निपटान करने के लिए परिषद की स्थायी समिति की स्थापना की गई थी इसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं: (1) केन्द्रीय गृह मंत्री (अध्यक्ष) (2) पाँच केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री (3) नौ मुख्यमंत्री।

1991 में परिषद को अपना कार्य सहायता प्रदान करने के लिए एक अन्तर्राज्यीय परिषद सचिवालय की स्थापना की गई जिसका प्रमुख भारत सरकार का एक सचिव होता है।

संस्थागत समर्थन: केन्द्र सरकार के प्रयोग हेतु अन्य मंचों के विपरीत Inter-state Council को संवैधानिक समर्थन प्राप्त है जो राज्यों की स्थिति को मजबूत करती है।

सहकारी संघवाद: केन्द्र और विभिन्न राज्यों में अलग-अलग राजनैतिक दलों के शासन के दौरान परस्पर विवाद व वार्ता की आवश्यकता बढ़ जाती है इस प्रकार Inter-state Council राज्यों को अपनी चिंताओं पर चर्चा करने हेतु एक मंच प्रदान करता है।

राज्य-राज्य तथा केन्द्र-राज्य से संबंधित विवादों का समाधान करना: इसके द्वारा वर्ष 2015-16 में क्रमशः 82 एवं 140 मुद्दों का समाधान किया गया।

निर्णय प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण बनाना: अधिक विकेंद्रीकृत राजनीति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वार्ता की आवश्यकता होती है। इस दिशा में अन्तर्राज्यीय परिषद एक महत्वपूर्ण कदम है।

सरकारों को अधिक उत्तरदायी बनाती है: वार्ता एवं चर्चा हेतु एक मंच होने के कारण यह केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारों को अपने कार्यों के प्रति और अधिक उत्तरदायी बनाती है।

एक सुरक्षा वाल्व: यह परिषद केन्द्र और राज्यों के बीच विश्वास की कमी को दूर करने में सहायता करती है क्योंकि यह हमेशा समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, फिर भी इसने अनेक परिस्थितियों में एक सुरक्षा वाल्व के रूप में काम किया है।

Inter state Council को सशक्त बनाने के लिए कार्यक्रम: (1) सरकारिया आयोग ने अनुशंसा की थी कि इसे संविधान में परिभाषित सही शक्तियाँ प्रदान करने की आवश्यकता है क्योंकि यह संविधान का अनुच्छेद 263(a) जो इसे अंतर्राज्यीय विवादों की जाँच करने की शक्ति प्रदान करता है पर इसे 1990 के राष्ट्रपति आदेश में सम्मिलित नहीं किया गया था।

आयोग ने केन्द्र राज्य संबंधों की सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की इनमें से महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्न हैं: (अथवा विशेषताएँ):

(1) अनुच्छेद 356 को संभाल कर इस्तेमाल किया जाए इसका तभी इस्तेमाल हो जब सभी उपलब्ध विकल्प समाप्त हो जाएं।

(2) अखिल भारतीय सेवाओं के संस्थान को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए और ऐसी ही कुछ सेवाओं का निर्माण किया जाना चाहिए।

(3) अवशिष्ट की शक्ति संसद में ही निहित रहनी चाहिए, जबकि अन्य शक्तियों को समवर्ती सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

(5) जब राष्ट्रपति राज्य के किसी विधेयक को स्वीकृति के लिए आरक्षित रखें तो इसका कारण राज्य सरकार को बताया जाना चाहिए।

(7) क्षेत्रीय परिषद बनायी चाहिए और इन्हें संघीयता के मामले में नीतिगत बनना चाहिए। (8) केन्द्र को बिना राज्य की स्वीकृति के सैन्य बलों की तैनाती की शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात यह राज्यों की सहमति के बिना भी किया जा सकता है, यद्यपि यह वांछनीय है कि राज्यों से परामर्श किया जाए।

(9) समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने से पहले केन्द्र को राज्य से परामर्श करना चाहिए।

(10) राज्यपाल की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री की सलाह की व्यवस्था को स्वयं संविधान में निर्दिष्ट किया जाना चाहिए।

(11) निगम कर की कुल प्राप्तियों को राज्य के साथ निश्चित सीमा में बाँटा जाना चाहिए।

(12) राज्यपाल विधानसभा में बहुमत की स्थिति पर सरकार को भंग नहीं कर सकता है। (13) राज्यपाल के 5 वर्ष के कार्यकाल को बिना ठोस कारणों के बाधित नहीं करना चाहिए।

Scanned with CamScanner

(14) बिना संसद की मांग के किसी राज्य मंत्री के खिलाफ जाँच आयोग नहीं बैठानी चाहिए

(15) केन्द्र द्वारा आपातकालीन अधिकार की उपाधि नहीं करनी चाहिए।

(16) त्रिभाषा फार्मूला समान रूप से लागू करने की दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए

(17) रेडियो एवं टेलीविजन की स्वायत्तता नहीं होनी चाहिए, लेकिन इनके कार्यों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए

(18) राज्यों के पुनर्गठन पर राज्य सभा की भूमिका एवं केन्द्र की शक्ति में परिवर्तन नहीं होनी चाहिए

(19) भाषागत अल्पसंख्यकों के लिए कमिश्नरी प्रारंभ करना चाहिए

केन्द्र सरकार के द्वारा दिसम्बर 2011 तक सरकारिया आयोग की 180 ~~2417~~ (247 में से) सिफारिशों को लागू कर चुकी है। इसके सबसे महत्वपूर्ण 1990 में केन्द्र राज्य परिषद का गठन है।

(20) संविधान के अनुच्छेद 356 के उपयोग को कम किया जाना चाहिए और राज्य में राष्ट्रपति ~~शासन~~ शासन लगाने से पहले एक वैकल्पिक सरकार के गठन की सभी संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। राज्य विधान सभा को तब तक भंग नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संसद द्वारा उद्घोषणा की मंजूरी नहीं दी जाती।

Scanned with CamScanner